(40)

संख्या-20/1/91-का-2-2006

प्रेषक,

उमेश सिन्हा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक :12 दिसम्बर, 2006

विषयः-भर्ती/ नियुक्ति पर प्रतिबन्ध ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासन ने सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि तात्कालिक रूप से निम्नलिखित मामलों को छोड़कर राज्याधीन सेवाओं के पदों पर भर्ती पर प्रतिबंध लगाया जाता है :-

(1) लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयन व उनके आधार पर नियुक्तियां ।
(2) माननीय उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जाने वाली भर्ती ।
(3) उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों की भर्ती नियमावली, 1974 के अधीन नियुक्तियां ।
(4) अनुसूचित जाति/जनजाति के अवशेष रिक्तियों पर विशेष चयन का आयोजन तथा उसके आधार पर नियुक्तियां ।
(5) केवल सेवानियमावली के अधीन की जाने वाली पदोन्नति द्वारा भर्ती ।
(6) सीधी भर्ती व पदोन्नति के माध्यम से हुई तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितिकरण हेतु कार्मिक विभाग द्वारा जारी नियमावलियों के तहत विनियमितिकरण ।
(7) पुलिस विभाग, अग्नि शमन विभाग, होमगार्ड्स एवं अन्य सशस्त्र बलों में की जाने वाली भर्ती ।

2. यह भी उल्लेखनीय है कि समूह 'घ' चतुर्थ श्रेणी के पदों पर पूर्व से ही प्रतिबंध लगा हुआ है, किन्तु इन पदों पर भर्ती की आवश्यकता एवं औचित्य को दर्शाते हुए, माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुमति प्राप्त कर, भर्ती की जा सकती है ।

3. उपरोक्तानुसार प्रत्येक श्रेणी के राज्याधीन समस्त संवर्गीय/निःसंवर्गीय पदों पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती, तदर्थ पदोन्नति, संविदा, नियत वेतन, नियमित/नियत वेतन पर तदर्थ, दैनिक वेतन, मानदेय, वर्कचार्ज, सेवास्थानान्तरण/प्रतियनियुक्ति जिसमें पूर्व से चल रहे सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर पुनः सेवास्थानान्तरण/ प्रतियनियुक्ति की अवधि को सम्मिलित करते हुए समस्त प्रकार के भर्ती/नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया अग्रिम आदेशों तक यथावत् स्थगित रहेंगी ।

उपरोक्त आदेशों का तदनुसार कड़ाई से अनुपालन करने हेतु अपने अधीनस्थ समस्त युक्ति प्राधिकारियों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

उमेश सिन्हा ;
सचिव ।

संख्या 20/1/91(1)-का-2-2006, तददिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(पी.एन.यादव)
विशेष सचिव ।